न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला अलवर

अध्यासितः– श्री गंगाधर मीणा आर०ए०एस

प्रकरण सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
55/2019	17.06.2019	12.12.2022

उनवान

1.जलसिंह साकिन घासोली तहसील किशनगढ़बास :–प्रार्थी

बनाम

1. असलूप पुत्र मुहरखां
2. कालेखां पुत्र मुहरखां
3. रमजान पुत्र मुहरखां
4. उमर पुत्र मुहरखां कोम मेव साकिन कोलगांव
5. आमीना पुत्र मोहरसिंह
6. छोटा पुत्र उस्मान पुत्र पप्पा मेव साकिन कोलगांव
7. खेमचंद पुत्र रमली
8. लालचंद पुत्र रमली कोम चमार साकिन कोलगांव
9. गुलजारीलाल पुत्र छाजूराम महाजन म.न. 104 बसंत विहार स्कीम नं0 3 अलवर
10. चमेली बेवा भूरू
11. महतूराम पुत्र भूरू
12. चिरंजी पुत्र भूरू
13. गिरधारी पुत्र भूरू
14. सुरेश पुत्र फतहसिंह
15. नरेश पुत्र फतहसिंह
16. महाना बेवा फतहसिंह कोम चमार साकिन कोलगांव
17. छंगा पुत्र पप्पा मेव साकिन कोलगांव
18. जगदीश प्रसाद पुत्र प्रभूदयाल महाजन साकिन कोलगांव
19. जुहरू पुत्र पप्पा मेव साकिन कोलगांव
20. धर्मसिंह पुत्र संतू
21. विजेन्द्रसिंह पुत्र संतू
22. महेन्द्रसिंह पुत्र संतू
23. प्रकाश पुत्र संतू
24. शीला पुत्र संतू
25. सुनीता पुत्र संतू
26. सुशीला पुत्र संतू
27. अशरफी बेवा संतू

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

28. हक्कू पुत्र मामला
29. खिलाड़ी पुत्र मामला
30. खिल्लीराम पुत्र मामला जाति चमार साकिन कोलगांव
31. धांगा पुत्र मल्ली मेव साकिन कोलगांव
32. मंशादेवी बेवा नेमीचंद जाटव साकिन धासोली
33. पन्नीलाल पुत्र शादीराम
34. राजेश कुमार पुत्र शादीराम
35. अशोक कुमार पुत्र शादीराम
36. सुनीता पुत्री शादीराम
37. सतीशकुमार पुत्र रामजीलाल
38. सुरेशचंद पुत्र रामजीलाल
39. सोमोती बेवा रामजीलाल
40. सुब्बीराम पुत्र जगदीशचंद
41. अजयकुमार पुत्र जगदीशचंद
42. धर्मवती बेवा जगदीशचंद
43. प्रभूदयाल पुत्र सम्पत जाति चमार साकिन कोलगांव
44. अंगूरीदेवी पत्नी मांगेलाल खटीक साकिन कोलगांव
45. विजयसिंह पुत्र जीवराज चमार बासड़ा बस्ती किशनगढ़बास
46. सविता धामाणी पत्नी विवेक धामाणी साकिन धोहड़ा
47. फजरू पुत्र फूलखां
48. नसरू पुत्र फूलखां
49. नूरदीन पुत्र फूलखां कोम मेव साकिन कोलगांव
50. सूरजमल पुत्र फजरू
51. आसीन पुत्र फूलखां
52. रमजान पुत्र ऐवज
53. मेहताब पुत्र ऐवज कोम मेव साकिन कोलगांव
54. बल्लू पुत्र ज्वान
55. दीनमोहम्मद पुत्र ज्वान
56. शहरून पुत्र रोबड़ा
57. कासम पुत्र रोबड़ा
58. आसम पुत्र रोबड़ा
59. रसीद खां पुत्र आसीन
60. हामीदखां पुत्र कुशाल
61. पप्पू पुत्र इबरा
62. मौजू पुत्र ज्वान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

63. जैनम पत्नी आसम
64. कल्ली पत्नी मंगतू
65. जरीना पत्नी मुन्ना मेव साकिन कोलगांव
66. रहीमखां पुत्र उम्मेद
67. दीनू पुत्र उम्मेद
68. नूरदीन पुत्र उम्मेद कौम मेव साकिन कोलगांव
69. रामबाई पत्नी मोहनलाल
70. सरिता देवी पत्नी सीताराम
71. शांतिदेवी पत्नी रामचंद्र जाति जाटव निवासी बख्तपुरा तहसील व जिला अलवर
72. रोहिताश पुत्र बिहारीलाल यादव साकिन कोलगांव
73. शादी पुत्र उमराव मेव साकिन कोलगांव
74. सुमेरसिंह पुत्र बिहारीलाल
75. फतेहसिंह पुत्र बिहारीलाल
76. सुरेशचंद पुत्र बिहारीलाल अहीर साकिन कोलगांव
77. राहुल पुत्र मंगलाराम
78. अनिल पुत्र मंगलाराम
79. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लेण्ड होल्डर किशनगढ़बास तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:– श्री धर्मपाल यादव वकील प्रार्थी की ओर से।
श्री तैयब खान वकील अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम 1955 पेश किया है जिसके सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:– वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं 997 रकबा 0–15 बिस्वा ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास में जरिये रजि0 बयनामा खरीद की हुई है जिसका राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन हो रहा है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी हाल संलग्न है। प्रार्थी ने आराजी उक्त में बोरिंग किया हुआ है।

प्रार्थी ग्राम घासोली तन चुहडियावास का निवासी है हमारे बास में आस पास के ऐरिया में बारिश नही होने के कारण वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है पीने के लिये भी पानी नही रहा है ओर काफी प्रयास करने के बाद बोरिंग करने के बाद भी पीने के पानी की व्यवस्था नही हो सकी है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

चूहडियावास के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थी ने आराजी ख0नं0 997 रकबा 15 बिस्वा खरीदी है जो ग्राम कोलगांव में है। जमीन में वहा अभी पानी है इसलिए ख0नं0 997 के बोरिंग से चूहडियावास में पानी लाने के लिये जमीन में 3 फीट नीचे पाइप लाईन दबाकर पानी लाना चाहता है। ताकि गर्मी के मौसम में पानी के लिये पानी की व्यवस्था हो सके।

चुहडियावास से ग्राम कोलगांव तक की सीमा में जहॉ घासोली की सीमा लगती है उसमे पानी के लिये प्रार्थी ने पाइप लाईन दबाई है।

ग्राम कोलगांव की सीमा में अप्रार्थीगण की आराजी खातेदारी के खसरा नं0 106, 105, 107, 108, 108/1286, 99, 109, 109/1319, 109/1320, 109/1321, 98, 110, 207, 207/1336, 207/1334, 207/1338, 150, 150/1329, 150/1330, 206, 156, 157, 158, 160, 155, 159, 178, 161, 162, 175, 162, 168, 173, 170, 169, 345, 346, 349, 343, 362, 306, 339, 1047/1, 1047/2, 1046, 1045, 1010, 1371/1009, 1370/1009, 1008, 1011, 1007, 1002, 1003, 1000, 1004, 1006/1, 1006/2, 1018, 1018/1347, 1015, 1016, 996 लगती है जिस आराजी मे से प्रार्थी तीन फुट नीचे पाइप लाईन दबाने लगा तो दिनांक 06.06.2019 को अप्रार्थीगण ने पाइप दबाने से इन्कार करते हुए प्रार्थी के साथ गाली गलोच की तथा थप्पड मुक्को से मारपीट करने लग गये प्रार्थी पर हमला बोल दिया व एलानिया तौर पर धमकी दी कि हम अपनी आराजी मे से पीने के लिये पानी की पाइप लाइन नही दबाने देगें। यदि अप्रार्थीगण अपनी बेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो प्रार्थी का जीवन दुर्लभ हो जावेगा पीने के लिये पानी नही मिलने के कारण प्रार्थी व ढाणी वासीयों के प्यासे मरने की नोबत आजावेगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण की आराजी में से 3 फुट नीचे पाइप डालने का अधिकारी है।

अप्रार्थीगण को आदेश दिया जावे कि वो आराजी खसरा नं0 106, 105, 107, 108, 108/1286, 99, 109, 109/1319, 109/1320, 109/1321, 98, 110, 207, 207/1336, 207/1334, 207/1338, 150, 150/1329, 150/1330, 206, 156, 157, 158, 160, 155, 159, 178, 161, 162, 175, 162, 168, 173, 170, 169, 345, 346, 349, 343, 362, 306, 339, 1047/1, 1047/2, 1046, 1045, 1010, 1371/1009, 1370/1009, 1008, 1011, 1007, 1002, 1003, 1000, 1004, 1006/1, 1006/2, 1018, 1018/1347, 1015, 1016, 996 वाके ग्राम कोलगांव तह0 किशनगढबास जिला अलवर में आराजी ख0नं0 997 रकबा 0.15 बिस्वा वाके ग्राम कोलगांव से ढाणी चुहडियावास तन घासोली में 3 फुट नीचे पाइप लाईन दबाने में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा न करे, ना ही पाइप लाईन को कोई क्षति पहुचावे, ना पानी के आवागमन में कोई बाधा पैदा करे। श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास पाइप लाईन दबवाने की व्यवस्था करे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

प्रार्थी ने आराजी खसरा नंबर 997 रकबा 0–15 बिस्वा ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढ़बास में जरिये रजि0 बयनामा खरीद की हुई है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का अंकन हो रहा है। प्रार्थी ग्राम घासौली तन चुहड़ियावास का निवासी है। प्रार्थी के गांव में पीने के पानी की काफी समस्या हो रही है। अतः वह खसरा नंबर 997 के बोरिंग से चूहड़ियावास में पानी लाने के लिए जमीन में 3 फुट नीचे पाइपलाइन दबाकर पानी लाना चाहता है ताकि गर्मी के मौसम में पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। उक्त वाद न्यायालय में पेश होने के पश्चात न्यायालय अधिकारी ने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पटवारी को मौका रिपोर्ट हेतु अहकम जारी किया। तत्पश्चात हल्का पटवारी से रिपोर्ट 1–11–2022 को तलब की गई मुताबिक रिपोर्ट पटवारी उक्त भूमि पर पीने के पानी की समस्या है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा प्रतिवादीगण /अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि प्रार्थी पीने के पानी का बहाना बनाकर खेती की भूमि की सिचाई के लिए बडे–2 बम्बल पाईप डालकर पानी ले जाना चाहता है जिसमे हम प्रार्थीगण के खातो को भारी भरकम नुकसान होने की सम्भावना है जबकि अप्रार्थीगण के गांव में पानी की बहुत किल्लत है। वर्तमान में हमारें गावं में 600फुट के नीचे पानी मिलता है तथावो भी केवल मात्र गाव के 500 मी0 क्षेत्र मे है। जिसमें प्रार्थी गांव मे जबरदस्ती लठ के बल पर पानी की सप्लाई बडे–2 टैकरो से पानी भर कर पानी की सप्लाई करना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थी ने एक समूह के तहत प्रार्थी पर जान लेवा हमला भी किया था। जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र मरे हुए व्यक्तियो के खिलाफ पेश किया है। जिसके कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी पीने के पानी को बेचने के लिए जबरदस्ती खेतो को खोदकर पानी लाना चाहतां है। जबकि अप्रार्थीगण के गांव में पहले ही 600 फुट नीचे पानी मिल रहा है। जिसके कारण गावं में पानी की किल्लत है। प्रार्थी पानी बेंचकर मोटी कमाई कराना चाहता है। अप्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो हर सूरत मे खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब पेश होने पर तहसीलदार किशनगढबास से मोका रिपोर्ट तलब की जाकर शा0 मि0 की गई तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। तथा वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तथा तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट के को अवलोकन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने को निवेदन किया । उपखण्ड अधिकारी द्वारा पटवारी को मौका रिपोर्ट हेतु अहकम जारी किया। तत्पश्चात हल्का पटवारी से रिपोर्ट 1–11–2022 को तलब की गई मुताबिक रिपोर्ट पटवारी उक्त भूमि पर पीने के पानी की समस्या है। प्रतिवादी वकील का कहना है कि सरकार की तरफ से यदि पानी हेतु सरकारी पाइपलाईन की योजना आती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। परंतु उसे वह निजी कार्य हेतु स्वीकृति नहीं दे सकते।

वकील पक्षकरान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया । प्रार्थी एक गांव से दुसरे गांव में पीने के बाबत पानी ले जाना चाहता है। जबकि पटवारी एंव तहसीलदार की रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी के गांव में सरकारी पाईप लाईन पहले से ही मौजूद है । जिसमें सरकारी विभाग से नियमानुसार कार्यवाही हेतु आवेदन पेश करना चाहिए। चूंकि मामला दो गांवो का है विवाद हो सकता है । तथा 251ऐ केवल कृषि कार्य के लिए है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत खारिज किया जाता है।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)